न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-138RAAJodhpur2023-82RTA223 Baburam Vs Baburam etc

बाबुराम पुत्र श्री रावतराम, जाति मेघवाल, निवासी-सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. बाबुराम पुत्र श्री रेंवतराम, जाति गर्ग, निवासी-सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. राणाराम पुत्र श्री बिंजाराम
3. रावलराम पुत्र श्री बिंजाराम
4. जड़ाव पत्नी श्री बिंजाराम
5. डूंगरराम पुत्र श्री जसाराम
6. लिक्ष्मणराम पुत्र श्री जसाराम
7. दरिया देवी पत्नी श्री जसाराम
8. भैराराम पुत्र श्री भलाराम
9. भींयाराम पुत्र श्री भलाराम
10. ठाकरराम पुत्र श्री भलाराम
11. नकताराम पुत्र श्री भलाराम
12. सुआदेवी पत्नी श्री भलाराम

प्रर्फोमा पक्षकार

13. दुर्गाराम पुत्र श्री रावतराम
14. नारायणराम पुत्र श्री बागाराम
15. थानाराम पुत्र श्री इमरतराम

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

16. भीखाराम पुत्र श्री भगाराम जाति-मेघवाल, निवासी-सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 अप्रैल 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व मूल वाद संख्या 49/2022 बाबुराम बनाम दुर्गाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री अजीत दैया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पी.आर. मेघवाल, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 10
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 13 व 14
श्री रूगाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 16
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 17

नि र्ण य

दिनांक : 21 जुलाई 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 49/2022 बाबुराम बनाम दुर्गाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 अप्रैल 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 2223 के तहत दिनांक 28 अप्रैल 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 227 रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा ग्राम सोमेसर तहसील शेरगढ के संबंध में अपीलांट एवं अन्य रेस्पो. के विरुद्ध पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2023 को वादी/रेस्पो. का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार शेरगढ से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 21 अप्रैल 2023 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या दो से बारह के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित की है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी से संबंधित वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में वास्तविक स्थिति यह है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 227 रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा वक्त सेटलमेंट अपीलार्थी, प्रत्यर्थीगण संख्या दो से तेरह के पिता/पति कुंभाराम पुत्र पन्नाराम व रावतराम पुत्र जेठाराम के हक में बहिस्सा बराबर 1/2 यानि कि प्रत्येक के हिस्से में 12 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांशी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। खातेदार कुंभाराम एवं रावतराम की फौतेदगी पर विरासतन नामांतरकरण जरिये वादग्रस्त आराजी उनके विधिक वारिसान् के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुई। स्व. कुंभाराम व स्व. रावतराम के विधिक वारिसान् बिंजाराम, भलाराम, पिसरान् स्व. कुंभाराम तथा दुर्गाराम, गणेशाराम, बाबूराम पिसरान रावतराम ने अपने-अपने हक, हिस्से एवं अधिकार की कृषि भूमि में सें बहिस्सा बराबर 1/2-1/2 संयुक्त रूप से 07 बीघा कृषि भूमि का दिनांक 20.03.2014 को बिना किसी प्रतिफल सार्वजनिक गौचर हेतु जरिये समर्पणनामा राज्य पक्ष में उक्त कृषि भूमि को तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर के समक्ष समर्पित कर दी थी। उक्त समर्पण के पश्चात स्व. कुंभाराम एवं स्व. रावतराम के वारिसान् के पास बहिस्सा बराबर 09 बीघा 01 बिस्वा भूमि शेष रही, जिसमें सें स्व. रावतराम के विधिक वारिसान् दुर्गाराम, गणेशाराम व बाबूराम में सें गणेशाराम लाऔलाद फौत होने के कारण उसका हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथा स्व. रावतराम के अन्य पुत्र बाबूराम ने भी अपना हिस्सा अपने सगे भाई दुर्गाराम के पक्ष में हकतर्क कर दिया। इस प्रकार सार्वजनिक गौचर हेतु राज्य पक्ष में किये समर्पणनामे के पश्चात स्व. रावतराम के वारिसान् के हक, हिस्से एवं अधिकार की शेष रही संपूर्ण कृषि भूमि रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा अकेले दुर्गाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुई। दुर्गाराम जो कि प्रत्यर्थी संख्या तेरह है, ने उक्त 09 बीघा 01 बिस्वा भूमि पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये दिनांक 30.01.2023 को भीखाराम पुत्र मगाराम निवासी- पुगलिया, तहसील शेरगढ को बेचान कर दी। स्व. कुंभाराम के विधिक वारिसान् द्वारा संयुक्त रूप से राज्य पक्ष में गौचर हेतु भूमि समर्पित किये जाने के पश्चात अपने हिस्से में शेष रही भूमि रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा का पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 20.05.2014 के जरिये अपीलांट को बेचान कर दी, जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 698 स्वीकृत हुआ। स्व. कुंभाराम एवं स्व. रावतराम के विधिक वारिसान् द्वारा सार्वजनिक गौचर हेतु राज्य पक्ष में समर्पित की गई भूमि रकबा 07 बीघा की राजस्व कर्मचारियों को बखूबी जानकारी थी तथा तत्कालीन शेरगढ तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.05.2014 द्वारा सार्वजनिक गौचर हेतु समर्पित भूमि को राज्य पक्ष में जरिये नामांतरकरण राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश भी पारित कर दिया था तथा उक्त समर्पणनामे के संबंध में पटवारी हल्का सोमेसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.05.2014 भी तत्कालीन तहसीलदार शेरगढ को प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन बावजूद इसके सार्वजनिक गौचर हेतु राज्य पक्ष में समर्पित उक्त कृषि भूमि रकबा 07 बीघा को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। इसके अलावा दौराने दावा विचारण न्यायालय के समक्ष स्थानीय निवासीयों द्वारा सार्वजनिक गौचर हेतु राज्य पक्ष में समर्पित गौचर हेतु खसरा नं. 226 की रकबा 05 बीघा तथा खसरा नं. 227 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रकबा 07 बीघा भूमि को राज्य पक्ष में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर अतिक्रमण मुक्त कराने के बार-बार लिखित में प्रतिवेदन देने पर सहायक कलक्टर द्वारा अपने पत्र क्रमांकः विविध/2023/64 दिनांक 14.03.2023 द्वारा तहसीलदार शेरगढ को अविलंब कार्यवाही कर राज्य पक्ष में सार्वजनिक गौचर हेतु समर्पित की गई उपरोक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर राज्य पक्ष में नामांतरकरण दर्ज किये जाने के निर्देश दिये, जिसकी जानकारी वर्तमान तहसीलदार को बखूबी रही है। इसके बावजूद भी तहसीलदार शेरगढ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रत्यर्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर राज्य पक्ष में समर्पित की गई भूमि को भी हड़प करने की गरज से माननीय विचारण न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवाया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में तनकियात कायम किये बिना तथा प्रत्येक तनकी पर कारण एवं निष्कर्ष दर्शाए बगैर निर्णय पारित कर दिया।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 अप्रैल 2023 को निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों की घोर लापरवाही एवं मिलीभगती के कारण राज्य पक्ष को गंभीर क्षति हुई है, जिसके लिए राजस्व कर्मचारियों द्वारा बरती गई घोर लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध पृथक से विभागीय कार्यवाही का आदेश फरमावे। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2023(1)आर.आर.टी. 602, (1979) डब्ल्यू.एल.एन. 313 की न्यायिक नजीरे पेश की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सोलह ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या 16 वादग्रस्त आराजी में पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाबदावा मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अपील स्तर पर उठाये गये किसी तथ्य का उल्लेख नहीं है। अपीलांट स्वयं द्वारा अपने जवाबदावे में समस्त बेचाननामों का उल्लेख किया तथा उन्हें स्वीकार किया गया है। अपीलांट द्वारा अपने जवाब दावा में बेचाननामों में दर्ज पड़ौस एवं जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है। अपीलांट द्वारा अपने संपूर्ण जवाबदावे में किसी समर्पणनामे का कोई जिक्र नहीं किया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष तथाकथित समर्पणनामा की फोटो प्रति पेश की है जो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य ही नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि बंटवाड़े के वाद में में पक्षकारान् के हिस्से/अधिकारों का निर्धारण प्राथमिक डिक्री में होता है। प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय प्रसारित होने के समय अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित था। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री में कोई आपत्ति पेश नहीं किये जाने से उसे अंतिम डिक्री पर एजराज करने को कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा यह नहीं बताया गया है कि अंतिम डिक्री से उसके अधिकार किस प्रकार प्रभावित हुए है। जहां तक तथाकथित समर्पणनामा का प्रश्न है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई उज्र नहीं किया गया है तथा उक्त समर्पणनामा सभी पक्षकारान् की ओर से निष्पादित नहीं किये जाने से उसे वैध नहीं माना जा सकता है। अंत में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेंट संख्या सोलह के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है। अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश नहीं किये जाने से अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 10, 13 व 14 के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पक्षकारान् द्वारा राज्य पक्ष में भूमि समर्पित करने की दिनांक से ही समर्पणकर्ताओं के उस भूमि से समस्त अधिकार समाप्त हो जाते है। राजस्व कार्मिकों की उदासीनता से समर्पित भूमि का नामांतकरण राज्य पक्ष में दर्ज नहीं होने के कारण समर्पणकर्ताओ की फौतेदगी पर वादग्रस्त आराजी विरासतन नामांतरकरण के जरिये पुनः उनके वारिसान् के नाम दर्ज करवा ली गई है, जिससे राज्य पक्ष को गंभीर क्षति हुई है। अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे एवं राज्य पक्ष में समर्पित भूमि के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख समर्पणनामा दिनांक 19 मई 2014 के अवलोकन मुताबिक बींजाराम, भलाराम पुत्र कुम्भाराम तथा दुर्गाराम पुत्र रावतराम जताति मेघवाल द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 227 कुल रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा में सें 7 बीघा भूमि का सार्वजनिक गोचर प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया जाना पाया जाता है। तहसीलदार शेरगढ द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पटवारी सोमेसर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.05.2014 के आधार पर अपने कार्यालय आदेश क्रमांकः भू.अ./2014/1178 दिनांक 20.05.2014 के जरिये 7 बीघा समर्पित भूमि का समर्पण स्वीकार कर पक्षकारान् के हिस्से में रकबा कम कर राजस्व रेकर्ड में सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

उक्त कार्यवाही होने के बावजूद भी राजस्व रेकर्ड में समर्पणनामा की पालना में नामांतरकरण स्वीकृत नहीं होने से इन्द्राज नही हुआ। पक्षकारान् को उक्त तथ्य की जानकारी होते हुए राजस्व रेकर्ड में अघतन इन्द्राज के आधार पर विभाजन का वाद प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवा दी गई है।

यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट स्वयं द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत करते समय समर्पणनामे के तथ्य को छुपाया है तथा प्राथमिक डिक्री जिसमें पक्षकारान् के अधिकार निर्धारित होते है, की कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रकरण में तहसीलदार शेरगढ की उदासीनता के चलते राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया है।

इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के विपरीत होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 अप्रैल 2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में राज्य पक्ष में निष्पादित समर्पणनामा एवं उसके अनुसरण में वांछित कार्यवाही बाबत वस्तुस्थिति अभिलेख पर लेते हुए एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उभय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करे। साथ ही तहसीलदार शेरगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह मूल समर्पणनामा एवं उसके संबंध में की गई कार्यवाही संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राज्य सरकार का पक्ष रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-07-2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर